ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के अवसर पर
माननीय प्रबंध संचालक महोदय का संदेश

''प्रकृति भी और प्रगति भी,''
एक कदम जागरूकता की ओर...

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को जीवन के हर क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के महत्व का संदेश पहुंचाने के लिये हम मनाते आ रहे हैं। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से ऊर्जा संरक्षण के लिये पूरी प्रतिबद्धता के साथ संकल्प लेने का आव्हान करता हूँ। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ऊर्जा सघनता को कम करने के लक्ष्य के साथ अधिनियमित किया गया था। पेरिस समझौते के तहत् वर्ष 2020–21 की अवधि के लिये, भारत ने अपने निर्धारित योगदान (एनडीसी) में वर्ष 2030 तक अपनी जीडीपी के उत्सर्जनों, की तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 33 से 35 प्रतिशत तक कम करने, और गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतिशत संचयी विद्युत की स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा था, जिसे प्राप्त करने के पथ की ओर भारत सतत् प्रयासरत् है।

वर्तमान में ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग की आवश्यकता भारत ही नहीं अपितु विश्व के सामने भी एक चुनौती है क्योंकि हमारी अधिकतर ऊर्जा जरूरतें जीवाश्म ईंधन उत्पन्न ऊर्जा से होती है और यह सर्वविदित है कि इसके क्षरण से हमारे वातावरण के तापमान में परिवर्तन होता है। अत: यदि आप एक यूनिट भी बचाने में सहयोग दें तो न केवल राष्ट्र अपितु विश्व के कल्याण में भी आपका योगदान सराहनीय होगा। ऊर्जा आपूर्ति एवं उपलब्धता राष्ट्रीय विकास रणनीति का महत्वपूर्ण अंग है। निरंतर बढ़ती वैश्विक आबादी के कारण ऊर्जा की आवश्यकताओं में बढ़ोत्तरी एवं ऊर्जा के पारंपरिक स्त्रोतों में कमी को दृष्टिगत रखते हुए वैकल्पिक ऊर्जा के स्त्रोतों को विकसित करने पर बल दिया जा रहा है। इसी तारतम्य् में अक्षय ऊर्जा के उपाय को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने भी इसकी क्षमता को वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा है तथा वर्ष 2027 तक "नेट जीरो" कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की घोषणा की है। विश्व में भारत अक्षय ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है। वैश्विक रूप से भारत आज अक्षय विद्युत क्षमता में चौथे स्थान पर, पवन विद्युत में चौंथे स्थान पर और सौर विद्युत क्षमता में पांचवे स्थान पर है।

सूर्य समस्त धरती के लिए कभी अस्त नहीं होता। इसलिए वैकल्पिक तौर पर हम सूर्य से चौबीसों घंटे बिजली पैदा कर सकते हैं। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020–21 में कई समझौते और सहयोग करार किए गये जिसमें से **"एक-सूर्य-एक-विश्व–एक ग्रिड"** एक महत्वपूर्ण पहल है। यह संकल्पना अंतर्राष्ट्रीय विद्युत पारेषण ग्रिड के साथ महाद्वीपों में जनरेटरों और भार को परस्पर जोड़ने के लिए है।

मध्यप्रदेश में भी अक्षय ऊर्जा को सतत् बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि वर्तमान में राज्य में लगभग 5 हजार मेगावॉट की नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं में **ओंकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना मध्य प्रदेश की पहली, देश और विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग परियोजनाओं में से एक होगी । जिसमें म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा कन्सल्टेंसी दी जा रही है। इसके पहले भी राज्य के रीवा जिले में 750 मेगावॉट क्षमता की स्थापित सौर ऊर्जा परियोजना में कंपनी द्वारा कन्सल्टेंसी दी गई थी।**

"उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः" (अर्थात उद्यम से ही कार्य पूर्ण होते हैं सिर्फ इच्छा करने से नहीं) की तर्ज पर म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने भी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली की निकासी को सुविधाजनक बनाने हेतु भारत में पारेषण और निकासी अवसंरचना स्थापित करने के लिए वर्ष 2015 में हरित ऊर्जा गलियारा (ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर) योजना की शुरूआत की थी। **जिसके तहत् सभी कार्यों को समय से पूर्व ही जून-2022 में पूर्ण किया गया है।** इस उपलब्धि के लिए कंपनी के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी प्रशंसा के पात्र हैं। साथ–ही कंपनी द्वारा नवकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने हेतु दीर्घकालीन खुली पहुंच सुविधा प्रदान की जा रही है जिसके तहत् अब तक कुल 196 प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा भी अपने स्तर पर ऊर्जा संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किये गये हैं। वर्ष 2021–22 में मध्यप्रदेश में पारेषण हानि में उल्लेखनीय कमी हुई है एवं पारेषण हानि 2.63 प्रतिशत रही जो कि म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित 2.78 प्रतिशत की तुलना में काफी कम है तथा ऊर्जा संरक्षण की गतिविधियों का ही एक आयाम है।

साथ–ही विगत वर्षों में किये गये प्रयासों के फलस्वरूप अति उच्च दाब उपकेन्द्र में उपयोग होने वाले विभिन्नि उपकरणों व पेनलों में एलईडी इंडीकेटिंग बल्बों का उपयोग किया जा रहा है। हवा के दाब से चलने वाले मैकेनिज्म युक्त सर्किट ब्रेकरों के स्थान पर स्प्रिंग मैकेनिज्म युक्त ब्रेकरों का उपयोग किया जा रहा है। सभी क्रय की जाने वाली आवश्यक सामग्री में भी फाइव स्टार लेबल्ड उत्पाद को प्राथमिकता दी जा रही है। विभिन्न अति उच्चदाब उपकेन्द्रों पर रूफटॉप सौर पैनल लगाये गये हैं जो सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

"ऊर्जा संरक्षण एक सचेत, व्यक्तिगत प्रयास है और वृहद स्तर पर ऊर्जा दक्षता की ओर ले जाता है।" अत: सभी कार्यालय प्रभारियों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय में विद्युत खपत एवं विद्युत देयक पर व्यक्तिगत तौर पर मासिक स्तर पर निगरानी करें एवं निरंतर विद्युत खपत में कमी लाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास की रूपरेखा तैयार करें। सभी से यह भी अपेक्षा करता हूं कि वे कार्यालयीन के साथ अपने घरेलू कार्यों में भी बिजली बचत को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे जिससे न केवल राज्य, अपितु राष्ट्र एवं विश्व के साथ आगामी पीढ़ियों को भी यह सौगात प्राप्त हो सके। जैसा कि प्रसिद्ध कथाग्रंथ में कहा गया है कि "जलबिन्दु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः" जिसका आशय यह है कि बूंद–बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी तरह छोटी–छोटी मितव्ययता भी राष्ट्रहित में अतुल्य योगदान दे सकती हैं।

आइये, हम सब मिलकर ऊर्जा संरक्षण की दिशा में छोटे–छोटे प्रयास करें एवं दूसरों को भी प्रेरित करें।

शुभाकांक्षाओं सहित

(सुनील तिवारी)
प्रबंध संचालक
म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि., जबलपुर